रियल एस्टेट सेक्टर में रॉयल्टी और अप्रूवल होंगे अब आसान और पारदर्शी

कलेक्टर-बिल्डर संगठनों का बनेगा ज्वाइंट टास्क फोर्स

Pankaj.Pandey@Timesofindia.com

मुंबई : मुंबईकरों और रियल एस्टेट उद्योग दोनों के लिए राहत भरी खबर है। मुंबई शहर और उपनगर जिलों के कलेक्टरों ने रियल एस्टेट उद्योग के साथ एक संयुक्त बैठक में भूमि प्रशासन में बड़े सुधारों की रूपरेखा तैयार की है। क्रेडाई-एमसीएचआई के अध्यक्ष सुखराज नाहर की पहल पर क्रेडाई-एमसीएचआई, नारेडको, बीडीए और पीईएटीए के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। यहां जमीन से संबंधित जटिल प्रक्रियाओं, रॉयल्टी, सर्वे और मंजूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू करने पर सहमति बनी। नाहर की अपील पर मुंबई की कलेक्टर अंचल गोयल और मुंबई उपनगर के कलेक्टर सौरभ कातियार ने उद्योग के मुद्दों को गंभीरता से लिया।

अंचल गोयल के अनुसार, रॉयल्टी प्रक्रिया और सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति जैसे मुद्दे संवेदनशील हैं। इसके लिए सिस्टम आधारित सुधार की जरूरत है। नाहर के मुताबिक बैठक में दोनों कलेक्टर ने सभी प्रक्रिया को आसान करने के एसओपी तैयार करने का आश्वासन दिया। बैठक में रॉयल्टी, प्रॉपर्टी सर्वे की समय सीमा तय करने, प्रॉपर्टी कार्ड समेत अन्य कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई।

मुंबई शहर और उपनगर जिलों के कलेक्टरों ने रियल एस्टेट उद्योग के साथ एक संयुक्त बैठक की। यहां रॉयल्टी, प्रॉपर्टी सर्वे की समय सीमा तय करने समेत कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई।

हर दो महीने में बैठक

नाहर के अनुसार, बैठक में उनके द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों को हल करने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का गठन करने पर स्वीकृति बन गई है। टास्क फोर्स में कलेक्टर ऑफिस के अधिकारियों के साथ बिल्डर असोसिएशन के सदस्य होंगे। टास्क की बैठक हर दो महीने में होगी। बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों को हल करने के लिए दोनों कलेक्टर द्वारा जल्द एसओपी जारी किया जाएगा।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

क्रेडाई-एमसीएचआई के सेक्रेटरी ऋषि मेहता के अनुसार बैठक में रॉयल्टी से जुड़े नियम में छूट देने की मांग की गई। खुदाई करने पर प्रॉजेक्ट साइट पर ही मिट्टी रखने पर रॉयल्टी नहीं लगती है। बैठक में रॉयल्टी की तीन महीने की अवधि की समय सीमा हटाने की मांग की गई। प्लॉट पर होने वाले अलग-अलग सर्वे पर के बजाए सभी सर्वे एक साथ करने की बात रखी गई। साथ ही सर्वे प्रक्रिया को लेकर एक समय सीमा की मांग की गई। साथ ही प्रॉपर्टी कार्ड पर सभी डिटेल का विवरण होने की मांग की गई।